न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांक: 04.02.2019

प्रार्थना–पत्र संख्या :–13/2019

CMS NO:- 2019/00009

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

कजोड पुत्र बजरंगा जाति मीना निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. रामसागरपुत्र मूलचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3. रंगलाल पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
4. घासी पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
5. रामफुल पुत्र नाथ्या जाति बैरवा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
6. सीताराम पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
7. प्रेम बेवा रामकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
8. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
9. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय, बून्दी जिला बून्दी।

——प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थी के अभिभाषक श्री सीताराम धाकड़।

निर्णय दिनांक 14.07.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बीजलबा पटवार हल्का सुवानियां तहसील नैंनवां के प्रार्थी की खातेदारी व हक आधिपत्य की कृषि भूमि के खसरा सं. 697 रकबा 22–03 बीघा भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 697 के उत्तरी ओर स्थित भूमि खसरा संख्या 694 की मेर पर होकर गांव बिजलबा से नैनवॉ जाने वाली सडक से घुमकर खसरा संख्या 694 की मेर से 12 फीट चौडा अनुमान 200 फीट लम्बाई रास्ते से वादी भूमि के उत्तरी ओर रास्ते से भूमि के जाने का रास्ता निकला हुआ है, जो नैनवॉ से बिजलबा सडक तक निकला हुआ है। इस रास्ते को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ में लाल स्याही से बता रखा है। यह कि भूमि खसरा संख्या 694 प्रत्यार्थीगण संख्या 5 व 6 के पारिवारिक बंटवारे में आई है शेष प्रत्यार्थीगण का जमाबन्दी में सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाये है। यह कि प्रत्यार्थीगण के मन में बदयान्ति आई है इस कारण प्रत्यार्थीगण ने भूमि खसरा संख्या 694 पर वादी के आने जाने वाले रास्ते पर तारबंदी कर रास्ता अवरूद्व कर दिया जबकि प्रार्थी इसी रास्ते में होकर कहीं वर्षो से पीढीयों से आवागमन कर रहा है, जिसका प्रार्थी को सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है। प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 697 में पहुंचने का इस रास्ते खसरा संख्या 694 के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थी [illegible] अधिकार प्राप्त है कि प्रत्यार्थीगण को पाबंद करवाये कि वह नक्शा परिशिष्ट अ में [illegible] रास्ते पर से प्रार्थी के कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि यंत्रो को लाने व ले जाने में [illegible] बाधित नहीं करे व प्रार्थी के रास्ते के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉं (बून्दी)

Reader/Decesion/2021

Scanned with CamScanner

ग व उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करें, रास्ते की भूमि को खुर्द बुर्द व नष्ट भ्रष्ट नहीं करे, रास्ता अवरूद्ध बंद नहीं करे, ऐसा न तो स्वयं करे न ऐसा किसी अन्य से करवाये तथा प्रार्थी नक्शा परिशिष्ट अ में ल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को 12 फुट चौडा रास्ता घोषित करवा कर उक्त रास्ते का राजस्व नक्शे रास्ते के रूप में अंकन कराये। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी, नकल खसरा गिरदावरी व नकल नक्शा ट्रेस, शपथ–पत्र, बयान आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब/रिपोर्ट तलब किया गया। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को दिया जाने वाला रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। यह कि खसरा संख्या 694 रकबा 03–11 बीघा पर रामप्रसाद, रामसागर, रंगलाल पि0 मूलचन्द, घासी, सीताराम पि0 कालू, रामफूल पि0 नाथ्या, प्रेम बेवा रामकिशन बैरवा साकिन बीजलवा खातेदार दर्ज है। यह कि प्रार्थी अपने खाते की भूमि खसरा संख्या 697 पर आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 694 की पूर्वी मेड पर चाहता है। प्रार्थी ने परिशिष्ट अ में खसरा संख्या 694 की पश्चिमी मेड पर दर्शाया है। इस मेड के उत्तरी कोने पर श्री रामदेव जी महाराज का मंदिर होने से इस मेड पर रास्ता नहीं दिया जा सकता है। यह कि खसरा संख्या 694 के पूर्वी मेड पर लम्बाई 68 गट्ठे, चौडाई 2 गट्ठे लम्बाई कुल 07 बिस्वा भूमि का रास्ता प्रस्तावित दिया जाना उचित होगा। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी । प्रार्थी को तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम बीजलबा पटवार हल्का सुवानियां तहसील नैंनवां के कृषि भूमि के खसरा सं. 697 रकबा 22–03 बीघा कृषि भूमि पर आने जाने तथा ट्रेक्टर–ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु खसरा संख्या 694 के पूर्वी मेड पर लम्बाई 68 गट्ठे, चौडाई 2 गट्ठे लम्बाई कुल 07 बिस्वा भूमि में रास्ता, जो परिशिष्ट "क" में प्रस्तावित रास्ता डोटेड लाइन से दर्शाया गया है के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ "क" नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जाकर मौके पर रास्ता बहाल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवॉं (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner